



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012021-224303
CG-DL-E-09012021-224303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]
No. 13]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/पौष 18, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 15(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 624(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किये गये थे, उन व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 7 अक्टूबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त किए गए आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 9 और धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 15 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे ॥
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 14 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
(2) "किसी अंतरराष्ट्रीय चालन अनुज्ञापत्र के लिए www.parivahan.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रारूप 4ए में, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और इस के साथ निम्नलिखित संलग्नित होगा-
(क) इन नियमों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी वैध चालन अनुज्ञापत्र;
(ख) नियम 32 में यथा विनिर्दिष्ट समुचित फीस;
(ग) आवेदक के हाल के पासपोर्ट साइज के तीन फोटो;
(घ) भारतीय राष्ट्रियता का वैध प्रमाण;
(ङ.) पासपोर्ट का वैध प्रमाण;"।
3. उक्त नियमों के, नियम 32 में, सारणी में, क्रम सं. 5 के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“5.	अंतरराष्ट्रीय चालन अनुज्ञापत्र परमिट जारी करने के संबंध में	एक हजार रु. भारतीय मिशन/ विदेशी पोस्ट के माध्यम से ऑनलाइन किए गए आवेदन के मामले में समाप्त आईडीपी रखने वाले विदेशी नागरिक से दो हजार रु. अतिरिक्त उद्ग्रहीत किया जाएगा ।	14(2)(ख)	9”
-----	---	---	----------	----

4. उक्त नियमों के, प्रारूप 4क में, आवेदक द्वारा विवरणों के अधीन सारणी में भरा जाएगा,
(क) क्रम सं. 4 में तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(ग)	मोबाइल
“(घ)	ई-मेल आईडी”

- (ख) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(क)	क्या आपको गाड़ी चलाने के लिए चालन अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु निरहित किया गया है? यदि हां, तो किस कारण से?	
“(ख)	क्या वर्तमान देश में आपको गाड़ी चलाने के लिए वर्जित किया गया है? यदि हां, तो किस कारण से?	”

(ग) क्रम सं. 15 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा:-

“15. वर्तमान पता जहां मैं आईडीपी प्राप्त करना चाहता हूं, (आवेदक के वर्तमान निवास के दौरान जारी आई डी पी के समाप्ति के पश्चात केवल ऐसे आवेदक द्वारा विदेश से आवेदन करने के मामले में लागू)”।

[फा. सं. आरटी-11036/55/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 690(अ), तारीख 06.11.2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2021

G.S.R. 15(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 624 (E), dated the 07th October, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), inviting objections or suggestions from any person likely to be affected thereby within the period of thirty days from the date of publication in the Official Gazette;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 07th October, 2020;

And whereas, the objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 9 and section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) **Short title and commencement.** -These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 15th February 2021.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as said rules), in rule 14, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely: -

“(2) An application for an International Driving permit shall be made online through the portal www.parivahan.gov.in in Form 4A and shall be accompanied by —

(a) valid driving licence issued by the licensing authority under these rules;

(b) appropriate fee as specified in rule 32;

(c) three copies of the applicant's recent passport photograph;

(d) valid proof of Indian Nationals;

(e) valid proof of passport; ”.

3. In the said rules, in rule 32, for in the table, for sl. No. 5 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

“5.	In respect of issue of International Driving Permit	One thousand rupees Additional fee of Rupees Two thousand shall be levied	14(2)(b)	9”
-----	---	--	----------	----

		in case the applicant has applied online through Indian Mission/ Post abroad from a foreign nation having expired IDP.		
--	--	--	--	--

4. In the said rules, in Form 4A, in the Table under Particulars to be furnished by Applicant,

(a) in serial number 4 and entries relating thereto, the following shall be inserted:-

"(c)	Mobile
(d)	Email Id”

(b) for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be inserted:-

(a)	Have you been disqualified for obtaining a driving license to drive? If so, for what reason?	
(b)	Have you been barred by the current country to drive in that country? If so, for what reason?	

(c) for serial number 15, the following shall be substituted: -

“15. Present address where I wish to collect my IDP, (applicable only in case if applicant is applying from a Foreign Country after expiry of IDP issued during his current stay).....”.

[F. No. RT-11036/55/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 690(E), dated 06.11.2020.